रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2016/ज्येष्ठ 23, 1938
No. 408] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2016/ JYAISTHA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

सा.का.नि. 595(अ).- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में, नियम 127 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"127क. विक्रय के पश्चात वारंटी और उसके लिए मानक – 1 अक्तूबर, 2016 को और उसके पश्चात् यदि किसी मोटरयान के विनिर्माता या आयातकर्ता के नोटिस में यान मॉडल में कोई सुरक्षा त्रुटि लाई जाती है जिससे दुर्घटना का जोखिम है या यान के अधिभोगी अथवा सड़क उपयोग करने वालों को जोखिम है तो विनिर्माता या संबद्ध आयातकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इन नियमों के उपाबंध -12 में विनिर्दिष्ट सुधार कार्रवाई करेगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए

सुरक्षा त्रुटि से किसी यान या यान के उपस्कर अथवा घटक में कोई त्रुटि या समस्या जिससे मोटर यान की सुरक्षा को असम्यक खतरा है या होने की संभावना है और समान डिजाइन या विनिर्माण अथवा समान प्रकार के और विनिर्माण के उपस्करों की मदों

के समूह से विद्यमान है और जो डिजाइन, विनिर्माण या पुरजे जोड़ने की अवस्था में उत्पन्न होते हैं और जो पूर्व चेतावनी या उपदर्शन के बिना उत्पन्न होते हैं, अभिप्रेत हैं।"

3. मूल नियमों में उपाबंध – 11 के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध – 12

(नियम 127क के अधीन यान वापस मंगाने के लिए प्रक्रिया)

1. परिभाषाएं :

(क) "सुरक्षा रिकॉल" या "रिकॉल" – मोटरयान लागू मानकों के अनुसार ऐसी रीति से डिजाइन और विनिर्मित किये जाने अपेक्षित है जो सड़क उपयोग के लिए पर्याप्त रुप से सुरक्षित हो। कभी-कभी बाजार में लाने के पश्चात यदि विनिर्माता की राय में कुछ यानों में नियम 127क में यथापरिभाषित 'सुरक्षा त्रुटि' के विवाद्यक है, तो ऐसे यानों का विनिर्माता या आयातकर्ता (वितरकों) द्वारा स्वेच्छा से मुफ्त निरीक्षण और सुधार किया जाता है। इस क्रियाकलाप को "सुरक्षा रिकॉल" या "रिकॉल" कहा जाता है।

(ख) "सुरक्षा रिकॉल डाटा बेस" से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या नॉडल अभिकरण द्वारा या उसकी ओर से सृजित, अपलोड किए गए और अनुरक्षित किए गए सुरक्षा रिकॉल या रिकॉल अभिप्रेत है।

(ग) "रिकॉल उत्पाद" से ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें विनिर्माता द्वारा सम्यक अन्वेषण के पश्चात् सुरक्षा त्रुटि की पहचान और पुष्टि की गई है।

(घ) "रिकॉल क्रियाकलाप" से सुरक्षा रिकाल के संबंध में यह अभिप्रेत है कि संभाव्य प्रभावित उत्पाद का निरीक्षण और सुधार या, जहां आवश्यक हो, त्रुटियुक्त घटक का प्रतिस्थापन, यदि रिकॉल उत्पाद में सुरक्षा त्रुटि पाई जाती है, जिसके संबंध में सुरक्षा रिकॉल संचालित की जा रही हो। रिकॉल क्रियाकलाप से यान का प्रतिस्थापन अभिप्रेत नहीं होगा।

(ड.) "घटक" से यान में फिट किया गया या संबंधित यान विनिर्माता द्वारा यान के साथ प्रदाय किया गया कोई पुर्जा या असेंबली अभिप्रेत है ;

(च) "नोडल अभिकरण" से केंद्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा रिकाल से संबंधित उपबंधों का समन्वय और प्रशासन का कार्यान्वयन करने के लिए नियुक्त या पदाभिहित कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

टिप्पण :- ऐसे शब्द, वाक्यांश और पद जिनको यह विनिर्दिष्टत: परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु मोटरयान अधिनियम, 1988 या केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 या उक्त नियम या नियमों के अधीन जारी किसी अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियम या उक्त नियमों या उक्त अधिसूचना में है।

2. उत्तरदायित्व का समनुदेशन – प्रत्येक विनिर्माता सुरक्षा रिकाल के प्रारंभ,संचालन और पर्यवेक्षण के लिए, केंद्रीय सरकार या नोडल अभिकरण को रिकाल की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए और विनिर्माता तथा उत्पाद से संबंधित ऐसे अन्य मामलों का हथालन करने के लिए, जो विनिर्माता के संगठन के भीतर समय समय पर उदभूत हो सकते हैं, के लिए उत्तरदायित्व समनुदेशित करेगा।

3. विनिर्माताओं द्वारा प्रक्रियाओं की स्थापना – प्रत्येक विनिर्माता अपने संगठन के भीतर ऐसी प्रक्रियाओं को स्थापित करेगा, जो विनिर्माता को यहां इसमें भी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में समर्थ बनाएंगे।

4. विनिर्माता द्वारा सुरक्षा त्रुटियों से संबंधित अन्वेषण –(1) किसी सुरक्षा त्रुटि के अवधारण के लिए किसी उचित जोखिम मूल्यांकन की अपेक्षा होती है जो ऐसे कारकों पर आधारित होता है जैसे विफलता होने की संभाव्यता, संभाव्य विफलता के परिणामों की गंभीरता के साथ-साथ यान के चालक द्वारा नियंत्रण – क्षमता। सुरक्षा संबंधी त्रुटियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :-

(क) चालन घटकों की अपक्रिया जिसके कारण यान नियंत्रण की पूर्ण हानि कारित होती है;

(ख) ब्रेक प्रणाली में त्रुटियां जिसके कारण ब्रेकिंग कृत्य को गंभीर हानि कारित होती है;

(ग) घटकों से संबंधित इंधन प्रणाली में अपक्रिया जिसके परिणामस्वरुप अनआशयित ईंधन रिसाव होता है ;

(घ) दरारयुक्त या टूटे हुए पहिये जिनके परिणामस्वरुप चालन के दौरान यान नियंत्रण की हानि होती है;

(ङ) सीटों, सीट बैल्ट तंत्र या सिर रोकथाम प्रणाली की विफलता या अपक्रिया जिसके कारण अधिभोगी को चालन के दौरान आसन्न खतरे का सामना करना पड़ता है;

(च) ऐसे मामलों के कुछ उदाहरण जो इनके अंतर्गत (सहित परंतु तक सीमित नहीं) नहीं आते हैं, नीचे दिए गए हैं –

(i) कोई त्रुटि जो दिन-प्रतिदिन की टूट-फूट के कारण या यानों की उचित या अनाधिकृत मरम्मत और अनुरक्षण, सर्विसिंग या स्वामी या चालक के स्तर पर किसी लापरवाही के कारण होती है ;

(ii) त्रुटियां जिनकी पहचान नेमी अनुरक्षण या सेवा के दौरान की जा सकती हैं ;

(iii) त्रुटियां जो चेतावनी प्रकाश के माध्यम से हथालन और असामान्य शोर में चिन्हित परिवर्तनों की पूर्व चेतावनी देती है;

(iv) नकली या अनधिकृत पुर्जों और उपकरणों, रिट्रोफिटमेंट पार्टस या किट फिट करने के कारण अन्य बाह्य कारणों जो विनिर्माता के नियंत्रण से परे हों, के कारण होने वाली परेशानी या त्रुटि ;

(v) वातानुकूलन और स्वत: चालन प्रणालियां या समुद्र यात्रा प्रणालियां जो उचित प्रकार से कार्य नहीं करती हैं ;

(vi) उपकरणों की सामान्य घिसाई जिसका कालिकत: निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रतिस्थापन किया जाना है, उदाहरणार्थ, क्लच, शॉक एब्जोरबर, बैट्री, ब्रेक पैड और शूज़, एक्जास्ट प्रणाली और अन्य मदें।

(vii) गैर-संरचनात्मक या बॉडी पैनल जंग ;

(viii) अनुचित टायर दबाव बनाए रखने के कारण अपक्रिया;

(ix) अत्यधिक तेल उपभोग;

(2) यदि किसी विनिर्माता के पास यह विश्वास (विनिर्माता के संगठन के भीतर या बाहर से प्राप्त सूचना या सलाह पर आधारित) करने का कोई कारण है कि किसी उत्पाद के किसी मॉडल के प्रकार या वर्ग में कोई सुरक्षा त्रुटि विद्यमान है या विद्यमान हो सकती है, तो विनिर्माता यह अवधारित करने के लिए कि सुरक्षा त्रुटि विद्यमान है, तुरंत अन्वेषण प्रारंभ करेगा।

(3) विनिर्माता सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण शीघ्रता से और ऐसी रीति में कार्यान्वित किया जाए जो विनिर्माता को उचित प्रकार से और तुरंत यह अवधारित करने में समर्थ बनाएगा कि सुरक्षा त्रुटियां विद्यमान हैं और यदि ऐसा होता है तो सुरक्षा त्रुटि की प्रकृति और विनिर्माता के उत्पाद जो सुरक्षा त्रुटि द्वारा संभाव्यता प्रभावित हो।

(4) अन्वेषण के कार्यान्वयन में, विनिर्माता निम्नलिखित अन्वेषण और विचार करेगा :-

(क) प्राप्त सूचना या सलाह, घटना या घटनाएं जो सुरक्षा त्रुटि की विद्यमान्यता को इंगित करती हो और घटनाओं की रिपोर्ट की गई संख्या और बारंबारता;

(ख) जब और परिस्थितयां जिम में या जिम के अधीन घटनाएं घटित हुई हों या घट सकती हों;
(ग) घटित हो रही घटनाओं के परिणाम ; और
(घ) सुरक्षा त्रुटि उपदर्शित करने वाली घटना से सीधे संबंधित कोई अन्य सुसंगत तथ्य और परिस्थिति;

(5) यदि अन्वेषण और विचारों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सुरक्षा त्रुटि विद्यमान है, तो विनिर्माता यह विनिश्चित कर सकेगा कि यान रिकाल कार्रवाई के अपात्र है और आंतरिक रुप से मॉनीटरी करना जारी रखेगा।

5. नॉडल अभिकरण द्वारा अन्वेषण – केंद्रीय सरकार या नॉडल अभिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट नॉडल अभिकरण या कोई परीक्षण अभिकरण भी ग्राहक प्रतिक्रिया या ग्राहक या ग्राहकों से शिकायतों, दुर्घटना आंकड़ों या सुरक्षा त्रुटियों से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट स्थिति की मॉनीटरी कर सकेगा।

विनिर्माण के कारण वास्तविक सुरक्षा त्रुटियों की अधिक संख्या की संभावना की दशा में, जहां कहीं आवश्यक हो, नॉडल अभिकरण को और अन्वेषण के लिए संबंधित यान विनिर्माताओं के साथ समांतर रुप से जानकारी साझा करनी चाहिए। अन्वेषण पर आधारित संबंधित विनिर्माता रिकॉल की आवश्यकता विनिश्चित करेगा।

ऐसे मामलों में जहां नोडल अभिकरण विनिर्माता द्वारा किए गए अन्वेषण की अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों या विषय वस्तु से संतुष्ट नहीं है वहां वह स्व:प्रेरणा से उक्त त्रुटि के अन्वेषण के लिए अन्वेषण प्रारंभ कर सकेगा।

6. सुरक्षा रिकॉल संचालित करने की बाध्यता –

(1) साधारण बाध्यता

यदि इस उपबंध – 12 के खंड 4 या खंड 5 में निर्दिष्ट अनवेषणों और विचारों के परिणामस्वरुप, विनिर्माता के उत्पाद में कोई सुरक्षा त्रुटि पाई जाती है तो विनिर्माता उनमें विहित प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षा रिकॉल संचालित करेगा।

जहां विनिर्माता ने या तो स्वेच्छा से सुरक्षा रिकॉल घोषित की है या कोई सुरक्षा रिकॉल घोषित की है, वहां रिकॉल के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा त्रुटियों को विनिर्माण त्रुटियों या सेवा में कमी के रुप में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) अपवाद – (क) यदि कोई विनिर्माता के उत्पाद में उसे ग्राहक को परिदत्त करने से पूर्व किसी सुरक्षा त्रुटि की पहचान करता है तो विनिर्माता ऐसे उत्पाद के संबंध में सुरक्षा रिकॉल संचालित करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(ख) यानों के लिए सुरक्षा विनियम उत्पादन या उस विशिष्ट यान के विक्रय के समय यथाप्रचलित लागू होंगे और सड़क पर सभी यानों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) यद्यपि यान विनिर्माता सुरक्षित यान के उत्पादन, समय पर मरम्मत, अनुरक्षण और यान के अच्छे रखरखाव के लिए उत्तरदायी है जैसा कि स्वामी की नियमावली या विनिर्माता द्वारा प्रदाय की गई हैंडबुक में यथा परामर्शित:, यान के स्वामी का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तदनुसार, विनिर्माता द्वारा अन्वेषण पर निम्नलिखित एक या अधिक स्थितियों की दशा में रिपोर्ट की गई 'सुरक्षा त्रुटियों' के लिए यान 'रिकॉल' कार्रवाई के लिए अपात्र होगा :

(i) ओवरलोडिंग;

(ii) दुर्घटनाओं या यान के स्वामियों द्वारा दुरुपयोग या खराब रखरखाव या अनधिकृत मरम्मत के कारण बाह्य टक्कर या बॉडी क्षति;

(iii) यान स्वामी द्वारा या यान विनिर्माता द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किए गए किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया कोई अनधिकृत फिटमेंट या परिवर्तन, जिसके कारण कार्य क्षमता प्रभावित होती है और यान के उपयोग के दौरान सुरक्षा विवाद्यकों की संभावना में वृद्धि हो ;

(iv) यानों का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग जो उस प्रयोजन से अन्यथा है जिसके लिए उसे डिजाइन और अनुमोदित किया गया था;

(v) स्वामित्व मामले जहां यान अनुमार्गणीयता उपलब्ध नहीं है ;

(vi) विनिर्माता के नियंत्रण से परे बाह्य हेतुक

(3) रिकॉल उत्पादों की पहचान और सुधार की रीति का अवधारण -

यदि किसी विनिर्माता से उपाबंध 12 के खंड 4 या खंड 5 के अधीन सुरक्षा रिकॉल संचालित करना अपेक्षित हो तो, विनिर्माता बिना किसी असम्यक विलंब से,

(क) उत्पाद की पहचान विशिष्ट संख्या (संख्यांए) (यान पहचान संख्या, क्रम संख्या या अन्य ऐसी संख्या, विनिर्माण की तारीख और/या ऐसी अन्य पहचान करने वाली विशिष्टियों द्वारा जो उपलब्ध हो या जिनको युक्तियुक्त ढंग से अभिप्राप्त किया जा सकता है) ; और

(ख) ऐसी रीति अवधारित करेगा जिसमें रिकॉल उत्पादों का सुधार किया जाना है (यदि सुधार अपेक्षित हो) ताकि उससे सुरक्षा त्रुटि दूर की जा सकेगी।

(4) सुरक्षा रिकॉल के लिए तैयारी और प्रकाशन

जब विनिर्माता ने रिकॉल उत्पादों की पहचान कर ली हो और ऐसी रीति अवधारित की हो जिसमें रिकॉल उत्पादों का सुधार किया जाना है, तो विनिर्माता या प्राधिकृत व्यौहारी या विनिर्माता के प्रतिनिधि:

(क) सुरक्षा त्रुटि और/या सुधार की अत्यावश्यकता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदमों को अवधारित करेंगे जो सुरक्षा रिकॉल के ग्राहकों को अधिसूचित करने के लिए उठाए जाने हैं और, विशिष्टत:, विनिर्माता या उनके प्रतिनिधि निम्नलिखित तैयार करेंगे:

(i) ऐसे अभिलेखों और स्रोतों से जो विनिर्मात के पास उपलब्ध हैं, रिकॉल उत्पादों के ग्राहकों के नाम, पते और अन्य अपेक्षित ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक सूची ;

(ii) प्राधिकृत व्यौहारियों को, जो उनको सुरक्षा रिकॉल और किसी कार्रवाइयों के ब्यौरे जो विनिर्माता या विनिर्माता के व्यौहारी सुरक्षा रिकॉल प्रारंभ करने और संचालित करने के लिए करेंगे, के विषय में सूचित करते हुए एक नोटिस;

(iii) नोडल अभिकरण और संबंधित पणधारियों (जैसे प्रकार अनुमोदन अभिकरण) को कोई संसूचना ;

(iv) रिकॉल उत्पाद की ग्राहकों को सूचना ।

(ख) यदि सुरक्षा त्रुटि और/या रिकॉल उत्पाद के सुधार की अतिआवश्यकता की प्रकृति से तुरंत कार्रवाई अपेक्षित हो तो विनिर्माता सुसंगत उत्पाद के स्वामियों को सुरक्षा त्रुटि के संबंध में इलैक्ट्रानिक और/या मुद्रण माध्यमों के माध्यम से ऐसी सूचना प्रसारित करते हुए, जो सुरक्षा रिकॉल के ग्राहकों के सूचित करने के लिए आवश्यक है, और ऐसी कार्रवाइयां जो उन्हें करनी चाहिए, से अवगत कराएगा ।

(ग) यदि रिकॉल में विदेशी पक्षकार ग्राहक अंतर्वलित हो तो विनिर्माता संबंधित देशों में दायित्व विधियों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) पुर्जों की उपलब्धता और रिकॉल क्रियाकलाप अनुदेश

जब विनिर्माता ने सुरक्षा त्रुटि और उत्पाद रिकॉल की प्रकृति की पहचान कर ली हो और ऐसी रीति अवधारित की हो जिसमें सुरक्षा त्रुटि में सुधार किया जाएगा, तो विनिर्माता ऐसी कार्रवाई करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विनिर्माता के व्यौहारियों के पास जब कभी ग्राहक रिकॉल उत्पाद प्रस्तुत करते हैं, समुचित अवसर पर सुरक्षा त्रुटि में सुधार करने के लिए अपेक्षित पुर्जे, असेंबली और/या सामग्री और तकनीकी और अन्य अनुदेश होंगे ।

(6) नोडल अभिकरण को नोटिस

विनिर्माता या प्राधिकृत व्यौहारी या विनिर्माता के प्रतिनिधि सुरक्षा रिकॉल निर्मुक्त करने के सात कार्य दिवसों के भीतर प्ररुप क में दिए गए प्ररुप में नोडल अभिकरण को लिखित में नोटिस दें ।

(7) उत्तर देने में ग्राहक की विफलता

यदि किसी रिकॉल उत्पाद का कोई ग्राहक नोटिस (पहला नोटिस) का उत्तर देने में विफल रहता है या पहले नोटिस को जारी करने से 90 दिन की अवधि के भीतर रिकॉल उत्पाद को निरीक्षण, जहां समुचित हो सुधार के लिए वापस लाने में विफल रहता है, तो विनिर्माता या प्राधिकृत व्यौहारी या विनिर्माता के प्रतिनिधियों को आगामी 30 दिन के भीतर अंतिम नोटिस भेजना चाहिए और निरंतर प्रगति को मानीटर करना चाहिए । रिकॉल प्रगति आंकड़े नोडल अभिकरण के साथ साझा किए जाएंगे ।

(8) विनिर्माता के उत्पादों के प्रदाय की सूचना और प्रदायकर्ता के दायित्व

यदि विनिर्माता के किसी उत्पाद में कोई सुरक्षा त्रुटि है या हो सकती है और विनिर्माता का उत्पाद किसी तीसरे पक्षकार से लिए गए हैं तो विनिर्माता उक्त तीसरे पक्षकार को तत्काल सूचित करेगा । जहां विनिर्माता ऐसा करना समुचित समझता है वहां विनिर्माता सुरक्षा त्रुटि की प्रकृति और ऐसी रीति जिसमें सुधार किया जाएगा, अवधारित करने में तीसरे पक्षकार की सहायता लेगा । विनिर्माता तीसरे पक्षकार को ऐसे विनिर्माता के उत्पादों के संबंध में सुरक्षा रिकॉल संचालित करने के विनिर्माता के विनिश्चय के संबंध में तीसरे पक्षकार को विनिश्चय करने के शीघ्र बाद सूचित करेगा । यदि यह अभिनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा त्रुटि किसी कार्य या लोक या अनुपालन के लिए विनिर्देशों और मानकों के अनुरुप न होने के कारण हैं, जैसा कि विनिर्माता द्वारा विक्रेताओं या प्रदायकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया हो, प्रदायकर्ता या विक्रेता ऐसे सभी कार्यों के लिए दायी होगा जो रिकॉल उत्पादों के सुधार के लिए आवश्यक हैं, जिसके अंतर्गत परंतु विनिमार्ता को ऐसी हानि या क्षति या तीसरे पक्षकार दावे जो सुरक्षा त्रुटियों के संबंध में उदभूत होते हों की क्षतिपूर्ति करने तक सीमित नहीं है । प्रदायकर्ता या विक्रेता, विनिर्माता को विनिर्माता के विरुद्ध या नियम 127 क के अननुपालन के लिए अधिरोपित शास्तियों के विरुद्ध किसी कानूनी प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई किन्हीं कार्यवाहियों के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा ।

(9) रिकॉल उत्पादों का सुधार –

यान विनिर्माता या उसका प्रतिनिधि, यथाशीघ्र व्यवहार्य, प्रभावित ग्राहक द्वारा विनिर्माता या विनिर्माता के व्यौहारी के पास वापस लाए गए प्रत्येक रिकॉल उत्पाद पर रिकॉल् क्रियाकलाप कार्यान्वित करेगा । ऐसा रिकॉल क्रियाकलाप ग्राहक के लिए नि:शुल्क किया जाएगा । विनिर्माता या उसका प्रतिनिधि रिकॉल क्रियाकलाप के भाग के रुप में रिकॉल उत्पाद के संबंध में सुधार सूचना अभिलिखित करेगा ।

(10) त्रुटियुक्त पुर्जों को विनष्ट करना

विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा त्रुटि वाले सभी पुर्जे जो विनिर्माता के कब्जे या नियंत्रण में हैं या लाए जाते हैं या आते हैं, नष्ट किए जाते हैं या उपयोग या पुन:उपयोग के लिए अक्षम बनाए जाते हैं, जब तक कि उनको पुन: तैयार नहीं किया जाता है और सुरक्षित नहीं बनाया जाता है । इसके अतिरिक्त विनिर्माता, यथास्थिति, व्यौहारी या प्रदायकर्ताओं को आवश्यक अनुदेश प्रदान करेगा ।

(11) सुरक्षा रिकॉल में भारी परिवर्तन

यदि सुरक्षा रिकॉल की प्रकृति या विस्तार में कोई भारी परिवर्तन होता है तो विनिर्माता तत्काल नोडल अभिकरण को अधिसूचित करेगा।

(12) सुरक्षा रिकॉल के अभिलेख

विनिर्माता उसके द्वारा संचालित प्रत्येक सुरक्षा रिकॉल के संबंध में सात वर्ष की अवधि तक अभिलेख अनुरक्षित करेगा और ये अभिलेख नोडल अभिकरण को जब कभी अपेक्षित हो या किसी विवाद या अभिकथित अतिक्रमण की दशा में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(13) सुरक्षा रिकॉल के डाटाबेस

नोडल अभिकरण विनिर्माताओं द्वारा कार्यान्वित किए गए सुरक्षा रिकॉल का डाटाबेस सृजित करेगा। निपटाए गए यानों के डाटाबेस कालिकत: अद्यतन किए जाएंगे। सुरक्षा रिकॉल का सारांश विनिर्माता द्वारा नोडल अभिकरण को संसूचित किया जाएगा।

(14) नोडल अभिकरण को कालिक अधिसूचना

विनिर्माता, जब तक केंद्रीय सरकार या नोडल अभिकरण द्वारा निदेश नहीं दिया जाता है, नियम 127क के प्रारंभ से 30 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को विनिर्माता द्वारा संचालित की जा रही सभी सक्रिय सुरक्षा रिकॉल के ब्यौरे प्ररुप-ख में उपलब्ध कराएगा। नियम 127क के प्रारंभ के पश्चात् किसी विनिर्माता द्वारा आदेशित सुरक्षा रिकॉल इस परिशिष्ट 12 के खंड 11 के उपबंधों के अनुसार नोडल अभिकरण को रिपोर्ट किए जाएंगे।

(15) सुरक्षा रिकॉल पूर्ण करना

(i) विनिर्माता रिकॉल प्रकृति आंकड़े मॉनीटर करना जारी रखेगा और जब कभी अपेक्षित हो तो नोडल अभिकरण के साथ साझा करेगा। विनिर्माता, नोडल अभिकरण को रिकॉल बंद करने से पूर्व पूर्ण करने पर या अन्यथा सूचित करेगा।

(ii) यान विनिर्माता, ग्राहकों को अंतिम नोटिस भेजने के पश्चात् भी अपने डाटाबेस या प्राधिकृत व्यौहारी नेटवर्क के माध्यम से ऐसे मामलों को मॉनीटर कर सकेंगे और जब कभी सुधार के लिए रिपोर्ट किए जाते हैं तो उनका सुधार कर सकेंगे। तथापि, रिकॉल निर्मुक्ति तारीख से तीन वर्ष पूर्ण होने पर सुरक्षा रिकॉल निष्क्रय समझी जाएगी।

(16) विवाद

नोडल अभिकरण और किसी विनिर्माता के मध्य कोई विवाद अंतिम विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(17) संपरीक्षा

यदि नोडल अभिकरण यह समझता है कि किसी विनिर्माता ने यहां विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो नोडल अभिकरण युक्तियुक्त नोटिस अवधि के पश्चात् विनिर्माता के संबंधित अभिलेखों की संपरीक्षा कर सकेगा। ऐसी संपरीक्षा से उदभूत कार्रवाई बिंदु केंद्रीय सरकार को आगामी आदेशों के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(18) **शास्ति**

(I) किसी ऐसे मामले में जहां, यथास्थिति, विनिर्माता या प्राधिकृत व्यौहारी या विनिर्माता का प्रतिनिधि सम्यक तत्परता के साथ सुरक्षा रिकॉल स्वेच्छा से घोषित करता है और वचनबंध करता है, वहां कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी।

(II) यदि विनिर्माता सुरक्षा रिकॉल घोषित करने में विफल रहता है, जहां रिकॉल परिभाषाओं के अनुसार स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है, तो केंद्रीय सरकार समुचित निदेश जारी कर सकेगी और मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार समुचित शास्ति भी अधिरोपित कर सकेगी।

प्ररुप क "रिकॉल" सूचना के संबंध में अधिसूचना			
सेवा में		तारीख	
भारत सरकार		निर्देश सं.	
विनिर्माता के संपर्क ब्यौरे			
विनिर्माता का नाम			
पता और दूरभाष संख्या			

<table>
<tr><td colspan="6">उत्पाद ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>यान का नाम</td><td>यान का वर्ग</td><td>(एक्स 2 – पहिया/4-पहिया)</td><td>यान परिवर्त</td><td>विनिर्माण अवधि (डीडी/एमएम/ वाईवाई वाईवाई)</td><td>टिप्पणी</td></tr>
<tr><td colspan="6">लक्ष्य "रिकॉल" की वीआईएन सं. रेंज (यान पहचान सं.):</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">लक्ष्य "रिकॉल" की कुल संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">त्रुटि सूचना</td></tr>
<tr><td colspan="6">त्रुटि का वर्णन :</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">सुधार कार्रवाइयों</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">"रिकॉल" घोषणा की प्रस्तावित तारीख:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">अभियान समाप्ति तारीख:</td></tr>
<tr><td colspan="6">कोई अन्य सुसंगत सूचना</td></tr>
<tr><td colspan="4">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</td><td>तारीख:</td><td></td></tr>
</table>

प्ररुप ख

(क) प्रत्येक ऐसी सुरक्षा रिकॉल में अंतर्वलित रिकॉल उत्पादों की संख्या : .....

(ख) यानों की संख्या जिन पर प्रत्येक ऐसी सुरक्षा रिकॉल के अधीन पूर्ववर्ती अवधि के दौरान रिकॉल क्रियाकलाप कार्यान्वित किए गए हैं :.....

(ग) रिकॉल क्रियाकलाप पूरे करने के लिए प्रत्याशी समय-सीमा :.....

(घ) नोडल अभिकरण द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य सुसंगत सूचना .....

.....।"

[सं. आरटी–11028/13/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 473 (अ), तारीख 2-6-2016 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2016

G.S.R.595(E).---The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Mo tor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi - 110001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (___Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the principle rules), after rule 127, the following rule shall be inserted namely:-

"**127A. Warranty after sale and norms therefore. -** On and after the 1st October, 2016, if any safety defect in a vehicle model is observed by, or is brought to the notice of, a manufacturer or importer of motor vehicles which poses risk of accident or risk to vehicle occupant or other road users, the manufacturer or importer concerned or his authorised representative shall undertake corrective actions as specified in Annexure-XII to these rules.

Explanation. – For the purposes of this rule "Safety defect" means any defect or a problem in any vehicle or vehicle equipment or component that poses or is likely to pose undue risk to motor vehicle safety and that exists in a group of vehicles of the same design or manufacture, or items of equipment of the same type and manufacture and which originated at design, manufacturing or assembly stage and which occurs without advance warning or indication.".

3. In the principal rules, after ANNEXURE-XI, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"**ANNEXURE-XII**

(Procedure for managing vehicle recalls under rule 127A)

1. Definitions:

(a) **"Safety recall" or "Recall". -** Motor vehicles are required to be designed and manufactured as per applicable standards in such a way as to be sufficiently safe for road use. Sometimes, after release to markets if, in the opinion of manufacturer, some vehicles have issues which pose a 'safety defect' as defined in rule 127A, such vehicles are voluntarily inspected and rectified by the manufacturers or importers (distributors), free of cost. This activity is called as "Safety recall" or "Recall".

(b) **"Safety recall data base"** means the date base of the safety recall or recalls created, uploaded and maintained by or on behalf of the Ministry of Road Transport and Highways or the Nodal Agency.

(c) **"Recall product"** shall mean a product wherein a safety defect has been identified and confirmed post due investigation by the manufacturer.

(d) **"Recall activity"** in relation to a safety recall means, the inspection of potentially affected product and the rectification or, where necessary, replacement of the defective component if the recall product is found to have safety defect in respect of which the safety recall is being conducted. Recall activity shall not mean replacement of the vehicle.

(e) **"Component"** means any part, assembly, fitted in the vehicle or supplied along with the vehicle by the respective vehicle manufacturer.

(f) **"Nodal Agency"** means an agency appointed or designated by the Central Government to carry out coordination and administration of the provisions relating to safety recalls.

Note: - Words, phrases and terms not specifically defined herein but defined in the Motor Vehicles Act, 1988, or the Central Motor Vehicles Rules, 1989, or any notification issued under the said Act or the rules, shall have the same meaning as defined in the said Act or the said rules or the said notification.

2. **Assignment of responsibility. -** Each manufacturer shall assign responsibility for the initiation, conduct and supervision of safety recalls, for reporting progress of recall to the Central Government or the Nodal Agency and for the handling of such other matters concerning the manufacturer and the product as may arise from time to time within the manufacturer's organisation.
3. **Establishment of procedures by manufacturers. -** Each manufacturer shall establish and maintain within its organisation such procedures as will enable the manufacturer to comply with the procedures prescribed herein.
4. **Investigation relating to safety defects by the manufacturer. -** (1) The determination of a safety defect requires a proper risk assessment based on factors such as probability of occurrence of failure, severity of consequences of a potential failure as well as controllability by the driver of the vehicle. Some examples of safety related defects are as under:-
   (a) Malfunction of steering components that cause complete loss of vehicle control.
   (b) Defects in brake system which causes severe loss of braking function.
   (c) Malfunction in fuel system related components that result in unintended fuel leakage
   (d) Cracked or broken wheels that results in loss of vehicle control during driving.
   (e) Failure or malfunction of seats, seat belts mechanism or head restraint system that exposes the occupants to an immediate danger during driving.

   A few examples of cases not covered (including but not limited to) are given below:-

   (i) Any defect which may be occasioned due to everyday wear and tear or due to lack of proper or authorised repair and maintenance, servicing of the vehicles or due to any negligence on the part of the owner or driver.
   (ii) Defects that can be identified during routine maintenance or service.
   (iii) Defects that give prior warning through warning lights, marked changes in handling and unusual noises.
   (iv) Any concern or defect triggered due to fitment of non-genuine or unauthorized parts and accessories, retrofitment parts or kits and other external causes beyond manufacturer's control.
   (v) Air conditioners and audio systems or navigation systems that do not operate properly.
   (vi) Ordinary wear of equipment that has to be inspected, maintained and replaced periodically, for example, clutch, shock absorbers, batteries, brake pads and shoes, exhaust systems and other items.
   (vii) Non-structural or body panel rust.
   (viii) Malfunction due to maintaining improper tyre pressure.
   (ix) Excessive oil consumption.

   (2) If a manufacturer has reason to believe (based on information or advice received either from within or from outside the manufacturer's organisation) that a safety defect exists, or may exist, in any model, type or category of a product, the manufacturer shall immediately commence investigation to determine whether the safety defect exists.

   (3) The manufacturer shall ensure that the investigation is carried out expeditiously and in a manner which will enable the manufacturer to determine properly and promptly whether the safety defect exists and, if so, the nature of the safety defect and the manufacturer's products potentially affected by safety defect.

   (4) In carrying out the investigation, the manufacturer shall investigate and consider:-

   (a) the information or advice received, the incident or incidents which may point to the existence of a safety defect and the reported number and frequency of the incidents;

   (b) when, and the circumstances in or under which, the incidents have occurred or may occur;

(c) the consequences of the incidents occurring; and

(d) any other relevant facts and circumstances directly related to incident indicating safety defect.

(5) If the investigations and considerations do not lead to a conclusion that the safety defect exists, the manufacturer may decide the vehicle to be ineligible for recall action and shall continue to monitor internally.

5. Investigation by the Nodal Agency. - Nodal Agency or a test agency nominated by the Central Government or by the Nodal Agency may also monitor customer feedback or complaints from a consumer or consumers, accident data or any specific situation related to safety defects.

In case of possibility of significant number of genuine safety defects due to manufacturing wherever necessary, Nodal Agency should share parallelly with the concerned vehicle manufacturers for further investigation. Based on investigation, the concerned manufacturer shall decide the need for recall.

In cases where the Nodal Agency is not satisfied with the findings or contents of the investigation report of the investigation carried out by the manufacturer, it may initiate investigation on its own for the investigation of the said defect.

6. Obligation to conduct a safety recall.-

(1) General obligation

If, as a result of the investigations and considerations referred to in clause 4 or clause 5 of this Annexure XII, a safety defect is found to exist in manufacturer's product, the manufacturer shall conduct a safety recall in accordance with the procedures prescribed herein.

Where the manufacturer has either voluntarily declared a safety recall or declared a safety recall, the safety defects covered under the recall need not be considered as manufacturing defects or deficiency in service.

(2) Exception. - (a) If a manufacturer identifies a safety defect in manufacturer's product before it is delivered to the customer, the manufacturer will not be under obligation to conduct a safety recall in respect of such product.

(b) Safety regulations for the vehicles will be applicable as prevailing at the time of production or sale of that particular vehicle and need not be applied retrospectively to all the vehicles on the road.

(c) Though the vehicle manufacturers are responsible for the production of a safe vehicle, the timely repairs, maintenance and good keep up of the vehicle, as advised in owner's manual or handbook supplied by the manufacturer, is the prime responsibility of the vehicle owner. Accordingly, upon investigation by manufacturer, the vehicle would be ineligible for 'recall' action for reported 'safety defects' in case of one or more of following situations:

(i) Overloading
(ii) External hits or body damage due to accidents or vehicle owner's abuse or poor maintenance or unauthorised repair.
(iii) Any unauthorised fitment or alteration carried out by the vehicle owner or any agency not so authorized by the vehicle manufacturer, which affects the performance and leads to a safety issue during the usage of the vehicle.
(iv) Use of vehicle for purposes other than the purpose for which it was designed and approved for.
(v) Ownership cases where vehicle traceability is not available.
(vi) External causes beyond manufacturer's control.

(3) Identification of recall products and determination of manner of rectification

If a manufacturer is required to conduct a safety recall under clause 4 or clause 5 of this Annexure XII, the manufacturer will, without any undue delay,-

(a) identify the product by unique number(s) (Vehicle Identification Number, serial number or other such number, date of manufacture and/or by such other identifying particulars as are available or as can reasonably be obtained); and

(b) determine the manner in which the recall products are to be rectified (if rectification is required) so as to eliminate the safety defect therefrom.

(4) Preparation and publication for safety recall

When the manufacturer has identified the recall products and determined the manner in which the recall products are to be rectified, the manufacturer or authorised dealers or manufacturer's representatives shall:

(a) having regard to the nature of the safety defect and / or the urgency for rectification, determine the steps which are to be taken to notify customers of the safety recall and, in particular, the manufacturer or their representatives shall prepare:

(i) from such records and sources as are available to the manufacturer, a list containing the names, addresses and other required details of the customers of the recall products;

(ii) a notice to the authorised dealers informing them of the safety recall and details of the actions which the manufacturer and the manufacturer's dealers are to take in initiating and conducting the safety recall;

(iii) a communication to the nodal agency and concerned stakeholders (such as Type Approval Agency);

(iv) a notice to customers of the recall product.

(b) if the nature of the safety defect and / or urgency for rectification of the recall products requires immediate action, the manufacturer shall make the owners of the relevant product aware of the safety defect through electronic and or or print media, disseminating such information as is necessary to inform customers of the safety recall and of the actions which they should take.

(c) In case the recall involves overseas parties customers, the manufacturer shall be responsible to comply with the liability laws in respective countries.

(5) Availability of parts and recall activity instructions

When the manufacturer has identified the nature of the safety defect and the recall products and determined the manner in which the safety defect will be rectified, the manufacturer shall take such actions as are necessary to ensure that the manufacturer's dealers have, or will have at the appropriate time, the parts, assemblies and / or materials and the technical and other instructions required to rectify the safety defect as and when the customers present the recall product.

(6) Notice to the Nodal Agency

The manufacturer or authorised dealers or manufacturer's representatives shall, within seven working days of releasing a safety recall, give notice in writing to the Nodal Agency in the format given in **Form-A**.

(7) Customer's failure to respond

If a customer of a recall product fails to respond to the Notice (First Notice) or fails to bring back the recall product for inspection and, where appropriate, rectification, within a period of ninety days from the issue of first notice, the manufacturer or authorised dealers or manufacturer's representatives should send a final notice within next thirty days and continuously monitor the progress. Recall progress data shall be shared with the Nodal Agency.

(8) Advice to suppliers of manufacturer's products and supplier's liability

If any of a manufacturer's product has, or could have, a safety defect and the manufacturer's product was sourced from a third party, the manufacturer shall immediately intimate the said third party. Where the manufacturer deems it appropriate, the manufacturer shall seek the assistance of that third party in determining the nature of the safety defect and the manner in which it will be rectified. The manufacturer shall advise the third party of the manufacturer's decision to conduct a safety recall in respect of such manufacturer's products as soon as possible after that decision is made. If it is ascertained that the safety defect is a result of an act or omission or non-conformity with the specifications and standards for compliance, as provided by the manufacturer to its vendors or suppliers, the supplier or vendor shall be liable for all such acts necessary for rectification of recall products, including but not limited to indemnifying the manufacturer for such loss or damage or third party claims that arise in connection with the safety defects. The supplier or vendor shall also

indemnify the manufacturer for any proceedings initiated by a statutory authority against the manufacturer or penalties imposed on the manufacturer for non-compliance with rule 127A.

(9) Rectification of recall products

The vehicle manufacturer or his representative shall carry out, as soon as is practical, the recall activity on each recall product brought back to the manufacturer, or to the manufacturer's dealer, by the affected customer. Such recall activity shall be carried out free of charge to the customer. As part of the recall activity, the manufacturer or his representative shall record the rectification information regarding the recall product.

(10) Destruction of defective parts

The manufacturer shall ensure that all parts having a safety defect and which are in, or come into, the manufacturer's possession or control, are destroyed or rendered incapable of use or reuse unless they are reworked and made safe. Further, the manufacturer shall provide necessary instructions to dealers or suppliers, as the case may be.

(11) Substantial change in safety recall

The manufacturer shall promptly notify the Nodal Agency, if there is any substantial change in the nature or scope of a safety recall.

(12) Records of safety recall

Manufacturer shall maintain records relating to each safety recall conducted by him up to a period of seven years and these records shall be made available to the Nodal Agency as and when required or in case of any dispute or alleged violations.

(13) Data base of safety recalls

Nodal Agency shall create a data base of safety recalls carried out by the manufacturers. This data base of the vehicles attended shall be updated periodically. Summary of safety recall shall be communicated to the Nodal Agency by the manufacturer.

(14) Periodic notification to Nodal Agency

The manufacturer shall, unless directed by the Central Government or the Nodal Agency, provide to the Nodal Agency within thirty days from the commencement of rule 127A, details of all active safety recalls being conducted by the manufacturer in the format at **Form-B**. The safety recalls ordered by a manufacturer after commencement of rule 127A shall be reported to the Nodal Agency in accordance with the provisions of clause 11 of this Annexure XII

(15) Completion of safety recall

(i) The manufacturer shall continue to monitor the recall progress data and share with Nodal Agency, as and when required. The manufacturer shall inform the Nodal Agency before closure of recall, on completion or otherwise.

(ii) Even after sending the final notice to customers, the vehicle manufacturers may monitor such cases through their database or authorized dealer network and address them as and when reported for rectification. However, on completion of three years from the recall release date, the safety recall may be deemed inactive.

(16) Disputes

Any dispute between the Nodal Agency and a manufacturer shall be referred to the Central Government for final decision.

(17) Audit

In case the Nodal Agency considers that a manufacturer has not complied with the procedure prescribed herein, the Nodal Agency may conduct audit of the related records of the manufacturer after a reasonable notice period. Action points arising out of such an audit shall be submitted to the Central Government for further orders.

(18) Penalty

(I) No penalty shall be levied in a case where the manufacturer or the authorised dealer or manufacturer's representative, as the case may be, voluntarily declares and undertakes a safety recall with due diligence.

(II) If the manufacturer fails to announce a safety recall where clear evidence is available as per the recall definitions, the Central Government may issue appropriate directions and also impose appropriate penalty as per provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Form-A

NOTIFICATION REGARDING "RECALL" INFORMATION

To	Date:	
Government of India	Reference No.	

Manufacturer's Contact Details

Manufacturer's Name:	
Address & Telephone Number:	

Product Details

Vehicle Name	Vehicle Category (ex. 2-wheeler / 4 Wheeler)	Vehicle Variant	Manufacturing Period (DD/MM/YYYY)		Remarks
			(FROM)	(TO)	

VIN Numbers Range (Vehicle Idendification no) of target 'Recall' vehicles :

Total number of target 'Recall' vehicles:	

Defect Information

Description of defect:

Remedial Actions:

Proposed Date of 'Recall' Announcement:	
Campaign End Date:	

Any Other relevant information :

Authorized Signatory	**Date:**	

Form -B

(a) The number of recall products involved in each such safety recall : _____

(b) The number of vehicles on which the recall activity under each such safety recall has been carried out during the previous period : _____

(c) Expected timelines for completion of recall activity : _____

(d) Any other relevant information as required by the Nodal Agency: _____ _____."

[No. RT-11028/13/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 473 (E) dated 02.06.2016

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.